फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री नारायण पिता देवा बनाम श्री देवी पिता ऊँकार

धारा 111,128 वाद / प्रा0प0 / अपील 27/18 प्र0सं0 /15

---

18 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 30.5.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

7.6.18

पत्रावली कोर्ट नं. 1 पर पेश / पोपली
पेश / फैसला अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया /
पत्रावली फैसला शुमार होकर
दाखिल रिकार्ड हो

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प पीपली

पीठासीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्याः– 27/18

1. श्री नारायण पिता देवा बैरवा निवासी– पातलियास
2. श्री काना पिता देवा बैरवा निवासी– पातलियास
3. श्री पप्पू पिता धन्ना बैरवा निवासी– पातलियास

––प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री देबी पिता उकार बैरवा निवासी– पातलियास
2. श्री भगवान पिता मांगू बैरवा निवासी– पातलियास
3. श्री शंकर पिता मांगू बैरवा निवासी– पातलियास
4. श्री गोपाल पिता हजारी सालवी निवासी– सुभाष नगर भीलवाडा
5. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब

––विपक्षीगण

––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः– 07/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपली पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरिक्षक मंगरोप तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 190/1, 191, 192 कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/04/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरिक्षक मंगरोप की आराजी नम्बर 190/1, 191, 192 कुल किता 3 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप को 500/–रू0 (अक्षरे– पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ